अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ,उ0प्र0
Atal Bihari Vajpayee Medical University,Lucknow, U.P.

पत्रॉक: 4001 / अ0बि0वा0चि0वि0 / 2020 दिनांक 17 दिसम्बर ,2020

परिपत्र

अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अधिनियम 2018 दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को अधिसूचित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 1623/71–4–2020–जी–137/2018 दिनॉक 13 अक्टूबर 2020 के द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,उ0प्र0, लखनऊ प्रभावी है। अधिनियम की धारा– 1 की उपधारा (2), धारा 5, 6 एवं धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत "राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होगें", उपधारा (2) "उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा विज्ञान या दन्त विज्ञान अथवा परिचर्या तथा पराचिकित्सा शाखाओं में उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई कालेज या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा", उपधारा (3) "राज्य में स्थित किसी आयुर्विज्ञान के किसी मेडिकल कालेज या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार, ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा", उपधारा (4) "नियत दिनांक को और से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ या उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा या शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्व आयुर्विज्ञान के समस्त कालेज और संस्थायें, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्व समझे जायेगें", अधिनियम के 'उद्देश्य और कारण' के प्रस्तर–2 (ख) 'सरकारी और साथ–ही–साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्व करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना', तथा अधिनियम की धारा 28, 29, 30 जो 'कालेजों की सम्बद्वता और मान्यता' की स्पष्टता के साथ अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित उक्त अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.abvmuup.edu.in पर अवलोकनीय है।

(डा0 अरूण कुमार सिंह)
कुलपति

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव श्रीराज्यपालजी, राजभवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सरा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. कुलपति, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ–226003
7. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली–110029
8. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,लखनऊ–226014
9. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ–226010
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।
11. कुलपति, शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12. कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

13. कुलपति / निदेशक / प्राचार्य / प्रबन्धक, राजकीय / निजी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय / समस्त कालेज और संस्थायें, उत्तर प्रदेश।
14. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
15. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 / उच्च शिक्षा अनुभाग–1 / दिव्यांग सशक्तिकरण अनुभाग–1 / चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
17. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हाई लाइट करते हुए अपलोड करने के हेतु।
18. गार्ड फाइल।

17.12.2020
(अनिल कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार